

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक:-04/कृ0के0यो0-03/2021.....64.....

/कृ0, राँची, दिनांक-04/01/2023

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, राँची।

विषय: वर्तमान वर्ष 2022-23 में केन्द्र प्रायोजित कृषोन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु. 700.00 लाख, राज्यांश रु. 528.76 लाख इस प्रकार कुल रु. 1228.76 लाख (बारह करोड़ अठाईस लाख छिहत्तर हजार रुपये) के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-34 दि.-16.09.2022, आवंटनादेश सं0-47 दि.-20.09.2022 एवं शुद्धि-पत्र सं0-56 दि.-28.12.2022

महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में वर्तमान वर्ष 2022-23 में केन्द्र प्रायोजित कृषोन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु. 700.00 लाख, राज्यांश रु. 528.76 लाख इस प्रकार कुल रु. 1228.76 लाख (बारह करोड़ अठाईस लाख छिहत्तर हजार रुपये) का आवंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त आवंटन वर्तमान वर्ष 2022-23 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No. 36-7/2017-AE/Extn. Desk दिनांक-29.12.2022 के द्वारा द्वितीय किस्त स्वरूप विमुक्त केन्द्रांश कुल रु. 700.00 लाख के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।

2. आवंटित राशि की निकासी वर्तमान वर्ष 2022-23 में संगत बजटशीर्ष से निम्न तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप लघुशीर्षवार की जाएगी :- (राशि लाख रु0 में)

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, उपयोजना शीर्ष-01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C24010079699010652) 52-सबसिडी राज्यांश (01S24010079699010652)	1329.2490 1004.0860	350.000 264.380	350.000 264.380	700.000 528.760
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, उपयोजना शीर्ष-01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C24010010999010652) 52-सबसिडी राज्यांश (01S24010010999010652)	797.5494 602.4516	210.000 158.628	210.000 158.628	420.000 317.256

3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, उपयोजना शीर्ष-01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C24010078999010652) 52-सबसिडी राज्यांश (01S24010078999010652)	531.6996 401.6344	140.000 105.752	140.000 105.752	280.000 211.504
कुल योग		4666.6700	1228.760	1228.760	2457.520

(बारह करोड़ अठाईस लाख छिहत्तर हजार रुपये)

- राशि की निकासी एवं व्यय भारत सरकार की Agriculture Extension / ATMA मार्गदर्शिका तथा इस संबंध में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के द्वारा दिनांक-26.05.2022 को स्वीकृत कार्ययोजना एवं निदेश के अनुरूप किया जायेगा।
- स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इस योजना के अंतर्गत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। State Nodal Cell एवं SAMETI हेतु स्वीकृत/आवंटित राशि के लिए कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत PFMS की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के वित्त विभागीय परिपत्र-2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/कोषागार संहिताओं का अक्षरशः अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।
- आवंटित राशि की निकासी संबंधी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष, समूहशीर्ष, लघुशीर्ष, एवं उपशीर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। अन्य लेखा आंकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
- प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश सं0-34 दिनांक-16.09.2022 की सभी शर्तों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0के0यो0-03/2021.....64.....

/कृ0, राँची, दिनांक-04.01.2023

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0के0यो0-03/2021.....64.....

/कृ0, राँची, दिनांक-04.01.2023

प्रतिलिपि: कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0के0यो0-03/2021.....64.....

/कृ0, राँची, दिनांक-04/01/2023

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला परियोजना निदेशक, आत्मा, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबवाईट/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 04/KKY-03/2021/64

दिनांक - 05-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 01 24010010999010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक 01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND TECHNOLOGY(0427) Central Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND(9144)	72793	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE) 52 - सबसिडी	21,000,000.00 रुपये दो करोड दस लाख
2	S 01 24010010999010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक 01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक 06 - अनुदान Central Scheme (State Share) State Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND TECHNOLOGY(0427) Central Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND(9144)	72796	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE) 52 - सबसिडी	15,862,800.00 रुपये एक करोड अठायन लाख बासठ हजार आठ सौ
3	C 01 24010078999010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक 01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND TECHNOLOGY(0427) Central Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND(9144)	72794	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE) 52 - सबसिडी	14,000,000.00 रुपये एक करोड चालीस लाख

योग: रुपये पाँच करोड आठ लाख बासठ हजार आठ सौ

50,862,800.00

क्रमिक योग:

(NISHA ORAON SINGHMAR)
DIRECTOR OF AGRICULTURE

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 01 24010078999010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी 01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	72797	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE) 52 - सबसिडी	10,575,200.00 रुपये एक करोड़ पाँच लाख पचाहत्तर हजार दो सौ
State Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND TECHNOLOGY(0427)		Central Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND(9144)		
5	C 01 24010079699010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी 01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी 06 - अनुदान Central Scheme	72792	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE) 52 - सबसिडी	35,000,000.00 रुपये तीन करोड़ पचास लाख
State Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND TECHNOLOGY(0427)		Central Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND(9144)		
6	S 01 24010079699010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी 01-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	72795	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE) 52 - सबसिडी	26,438,000.00 रुपये दो करोड़ चौराठ लाख अठतीस हजार
State Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND TECHNOLOGY(0427)		Central Scheme : NATIONAL MISSION ON AGRICULTURE EXTENSION AND(9144)		

योग: रुपये बारह करोड़ अठाइस लाख छहत्तर हजार

72,013,200.00

क्रमिक योग:

122,876,000.00

(NISHA ORAON SINGHMAR)

DIRECTOR OF AGRICULTURE